

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 101 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

बैद फिनसर्व लिमिटेड, द्वितीय तल, 1 तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान
जरिये अधिकृत अधिकारी दिनेश शर्मा

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सन्तोष कंवर पत्नी नन्द सिंह, सुजावास, तहसील दांतारामगढ़, रानोली, सीकर, राजस्थान-332403
2. पूरण सिंह पुत्र नन्द सिंह, वार्ड नम्बर 3, शेरपुरा, सुजावास, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान-332403
3. नन्द सिंह शेखावत पुत्र श्याम सिंह, वार्ड नम्बर 3, सुजावास, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान-332403
4. अनिता कंवर पत्नी पूरण सिंह, मकान नम्बर 36, सुजावास, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान-332403
5. राजवीर सिंह पुत्र मोती सिंह, 35, सुजावास, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान-332403

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:— 09 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः सन्तोष कंवर पत्नी नन्द सिंह, पूरण सिंह पुत्र नन्द सिंह, नन्द सिंह शेखावत पुत्र श्याम सिंह, अनिता कंवर पत्नी पूरण सिंह एवं राजवीर सिंह पुत्र मोती सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सन्तोष कंवर पत्नी नन्द

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 4251, संकल्प संख्या 10, मिसल नम्बर 06/2018-19, ग्राम पंचायत सुजावास, पंचायत समिति पिपराली, सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 226 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गोपाल का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में बजरंग का मकान एवं दक्षिण दिशा में बुधराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 3,90,000/- रुपये (अक्षरे रुपये तीन लाख नब्बे हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 20.07.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः सन्तोष कंवर पत्नी नन्द सिंह, पूरण सिंह पुत्र नन्द सिंह, नन्द सिंह शेखावत पुत्र श्याम सिंह, अनिता कंवर पत्नी पूरण सिंह एवं राजवीर सिंह पुत्र मोती सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सन्तोष कंवर पत्नी नन्द सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 4251, संकल्प संख्या 10, मिसल नम्बर 06/2018-19, ग्राम पंचायत सुजावास, पंचायत समिति पिपराली, सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 226 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में गोपाल का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में बजरंग का मकान एवं दक्षिण दिशा में बुधराम का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर